

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—43 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफतार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शेषराम पुत्र रामनाथ सोनकर निरो सौरवन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—41 / 21, 02. कृष्ण कुमार पुत्र शेषराम निरो सीर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—42 / 21, 02. राम बकस पुत्र रामनाथ निरो सीर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—43 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजयपाल पुत्र केशवराम निरो धोडहन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—29 / 21, 02. लीलावती पत्नी विजयपाल निरो धोडहन पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—30 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. आसू तिवारी पुत्र देव नरायन निरो भरिया लवेदपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—54 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गुड़िया पत्नी सोनू निरो भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—66 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दशरथ पुत्र हौशला निरो दुल्लापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—81 / 21, 02. पवन कुमार पुत्र काशीराम निरो दुल्लापुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—82 / 21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 25.02.2021

520 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अलगू उर्फ साईबाबा पुत्र आलम निरो बालपुरवा मौजा बनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—31/21, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एकट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 520 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.02.2021 को थाना कौड़िया के उन्नीस प्रमोद कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बहद ग्राम रामापुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 520 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया में एन0डी0पी0एस0 एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उन्नीस प्रमोद कुमार।
02. काठा आदित्य राय।
03. काठा रूपेन्द्र।